उत्तरांचल शासन

(वैट–9)

वित्त विभाग

सं0 560 / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006

दिनांक:: देहरादून:: जून 05 ,2006

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (यथा उत्तरांचल राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पूर्व मे जारी अधिसूचना सं0 04/XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006 दिनॉक 21/01/2006 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

अनुसूची –II (ख) के क्रमांक 128 पर वर्तमान प्रविष्टि, अर्थात, "हस्तनिर्मित तार जाली" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी –

"ताना बाना से निर्मित वायर मैश"।

......अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर
उत्तरांचल, देहरादून

आज्ञा से,

5/6/06

(इन्दु कुमार पांडे)

प्रमुख सचिव वित्त

1339
08-6-06

सं0 560 / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रेषित–

1–कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तरांचल, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त अधिकारियों को तुरंत इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तरांचल गजट में प्रकाशित करके इसकी 250–250 प्रतियां शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

5/6/06

प्रमुख सचिव वित्त,